

कार्यालय-जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

कोटेशन सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज के स्वीकृत आदेश दिनांकित 05.08.2024 के अनुपालन में प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा प्रस्तुत नवीनतम विधि पुस्तकें क्रय किये जाने सम्बन्धी मॉगपत्र दिनांकित 22.07.2024 के साथ संलग्न सूची में वर्णित नवीनतम विधि पुस्तकों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में इच्छुक जी.एस.टी. रजिस्टर्ड फर्म/मान्यता प्राप्त प्रकाशन उक्त की बावत कोटेशन कार्यालय केन्द्रीय नज़ारत जनपद न्यायालय कासगंज में दिनांक 09.10.2024 को सांय 4:00 बजे तक पंजीकृत डाक / ई-मेल I-D-dckrn@allahabadhighcourt.in अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कराने हेतु नियत कर उद्घोषणा दिनांक 20.09.2024 अधोहस्ताक्षर द्वारा निर्गत की गयी। केन्द्रीय नाज़िर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 09.10.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि नियत दिनांक तक संलग्न सूची में वर्णित नवीनतम विधि पुस्तकों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में कोई कोटेशन प्राप्त नहीं हुआ है। संलग्न सूची में वर्णित नवीनतम विधि पुस्तकों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में पुनः अग्रिम तिथि निर्धारित कर कोटेशन आमंत्रित किया जाना आवश्यक है।

अतः इच्छुक जी.एस.टी. रजिस्टर्ड फर्म/मान्यता प्राप्त प्रकाशन उक्त की बावत कोटेशन कार्यालय केन्द्रीय नज़ारत जनपद न्यायालय कासगंज में दिनांक 05.11.2024 को सांय 4:00 बजे तक पंजीकृत डाक / ई-मेल I-D-dckrn@allahabadhighcourt.in अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी केन्द्रीय नाज़िर, जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है। क्रय की जाने वाली नवीनतम विधि पुस्तकों की सूची निम्नवत है:-

S.No.	Name of Book	Quantity
1.	The Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 (Diglot) Edition 2024	29
2.	The Bhartiya Nagrik Suraksha Sangita 2023 (Diglot) Edition 2024	29
3.	The Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023 (Diglot) Edition 2024	29
4.	The General Rules Civil (Amended) Rules 2017 (Diglot) (New Edition)	32
5.	The General Rules Criminal (Amended) Rules 2019 (Diglot) (New Edition)	28
6.	Registration Act (Diglot) (New Edition)	04
7.	Code of Civil Procedure (Amended) Diglot Bare Act (New Edition)	06
8.	U.P. Urban building regulation of letting Rent and Eviction act 1972 (Book) New (Edition)	03
9.	Hindu Marriage Act (Diglot) (New Edition)	02
10.	The Guardians and Wards Act, 1890 (New Edition)	02
11.	The Indian Partnership Act, 1932 (New Edition)	02
12.	The Indian Limitation Act (Diglot) (New Edition)	02
13.	Legal Services Authority Act (Bare Act) (Diglot) (New Edition)	01
14.	Commentary on legal service Authority act (New Edition)	01
15.	Hindu Law (Bare Act) (New Edition)	01
16.	Nagar Palika Adhiniyam (Commentary) (New Edition)	01
17.	Panchayati Raj Adhiniyam (New Edition)	02
18.	Uttar Pradesh Basic Education Act 1972 (New Edition)	01
19.	U.P. Intermediate Education Act, 1921 (New Edition)	01
20.	The Clinical Establishment Registration and Regulation Act (New Edition)	01
21.	Shasanadesh, Government of Uttar Pradesh (New Edition)	01
22.	New Criminal Major Act (Book) (Diglot) (New Edition)	04
23.	Medical Jurisprudence and Toxicology (Modi's) (New Edition)	01
24.	Trade Mark Act (New Edition)	02
25.	Transfer of Property Act (Commentary in English) (New Edition)	01
26.	U.P. Excise Act (Diglot) (New Edition)	02
27.	Electricity Act (Diglot) (New Edition)	01
28.	Limitation Act (New Edition)	01
29.	Right to Information Act, (Diglot) (New Edition)	02
30.	The Indian Contract Act, 1872 (New Edition)	02
31.	Transfer of Property Act (Book) (New Edition)	01
32.	Indian Medical Council Act (Diglot) (New Edition)	01
33.	Right to Persons with Disabilities Act 2016 (New Edition)	01
34.	U.P. Municipalities Act (Diglot) (New Edition)	02
35.	Medico (Legal) Dictionary English to Hindi (New Edition)	01
36.	Domestic Violence Act (Diglot) (New Edition)	01
37.	Hindu Adoption and Maintenance Act (Diglot) (New Edition)	01
38.	Child Marriage Act	01
39.	Special Marriage Act	01
40.	Supreme Court Ready Reckoner	01

- 01- कोटेशन बन्द लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारात में दिनांक 05.11.2024 तक (कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे।
- 02- कोटेशन दिनांक 05.11.2024 को सांयकाल 4:30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेंगे।
- 03- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
- 04- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 05- कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
- 06- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- 07- भुगतान विधि पुस्तकों की आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- 08- कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
- 09- कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांक- .10.2024

(अनुतोष कुमार शर्मा),

अध्यक्ष क्रय समिति

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-1,
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No.562/19-2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 02- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 03- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 04- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक- .10.2024

(अनुतोष कुमार शर्मा),

अध्यक्ष क्रय समिति

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-1,
कासगंज।